



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 No. 25 of 2009)

क्र. 4156/अका./संव./2010

बिलासपुर, दिनांक 10/9/10

संज्ञीकृत आक

::आदेश::

निरीक्षण समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुये विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 24.05.2010 विषय क्रमांक 04 में लिये गये निर्णय के अनुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 की कंडिका 8(2) के प्रावधानानुसार अशासकीय जानकी देवी महाविद्यालय खिसोरा, जिला-जांजगीर-चांपा को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 10/9/10

पृ.क्र. 4157/अका./संव./2010

प्रतिलिपि :-

1. शिक्षा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छ.ग.शासन, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय, शास.जे.पी.वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. अध्यक्ष/सचिव, ज्ञान प्रवर्तक शिक्षण समिति, खिसोरा व्हाया बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. संचालक, म.वि.प./अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक (परीक्षा/गोपनीय)/सहा. कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित ।
7. कुलपति/उपकुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/शीघ्रलेखक/निज सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

सहा. कुलसचिव(अका.)